

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र ² निधन उठाने

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2003 (वैत्र 4, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पुढकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

① सुश्री सतिना जैनजी
भूतपूर्व सदस्य मंत्र वि० वि०

② फारूक युसुफ डिल्लूज
पूर्व डाक विभाग

③ अज्ञात संसूक्तधारियों द्वारा

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेमनारायण ठाकुर, समाज कल्याण मंत्री, निश्रक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निश्रक्त जन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री मुन्ना सिंह, नरेन्द्र सिंह लोमर, सदस्य, भिण्ड जिले में वाटर हार्वैस्टिंग टैंकों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) में वित्तीय अनियमितताएं होने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री जोधाराम गुर्जर, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का नवम् तथा वशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विधायक कार्य

श्री अजय मुखारान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2003 (क्रमांक 18 सन् 2003) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशा विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

सोपाल :
दिनांक : 24 मार्च, 2003

डॉ. ए.के. पटेल
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा